भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4057
दिनांक 19 दिसंबर, 2024

सीएसआर खाते पर आईओसी का व्यय

†4057. श्रीमती माला राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय तेल निगम (आईओसी) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खाते पर किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किसी गैर-सरकारी संगठन को आईओसी से सीएसआर राशि प्राप्त हुई है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अन्तर्गत अभिज्ञात शीर्षों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता एवं पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्मुखी पहलों एवं वयोवृद्धों और दिव्यांगों की देखभाल पर विशेष बल देते हुए सीएसआर कार्यकलाप किए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस पीएसयूज द्वारा स्वयं अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों के एजेन्सियों/विभागों के माध्यम से सीएसआर कार्यकलाप किए जाते हैं। कुछ मामलों में, तेल और गैस पीएसयूज सीएसआर कार्यकलापों का क्रियान्वयन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओज)/अन्य एजेंसियों को भी लगाते हैं। पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर कार्यकलापों, एनजीओज को प्रदत्त सीएसआर निधि से जुड़े आँकड़ें और व्यय की गई धनराशि का राज्यवार विवरण इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) की वेबसाइट अर्थात् www.iocl.com पर उपलब्ध है। आईओसी ने सीएसआर के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में 2160.33 करोड़ रुपए का व्यय किया है जिसमें सीएसआर के अन्तर्गत पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न एनजीओज को प्रदत्त 333.79 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है।

*****